

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1225
मंगलवार, 03 दिसंबर, 2024/12 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषिगत साख समितियों द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र चलाने हेतु आवेदन पत्र

+1225. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या प्रधान मंत्री-भारतीय जन औषधि केन्द्रों के संचालन के लिए लगभग 5,000 आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं;
- (ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश के विशेष संदर्भ में तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) 5,000 आवेदनों में से कितने आवेदनों को प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर (पीएम-जेएस) आरंभ करने की अनुमति दी गई है;
- (घ) क्या उपर्युक्त जेएस को कोई वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान की जाती है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) और (ख): दिनांक 18 नवंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 4,470 पैक्स ने अपने आवेदन जमा किए हैं, जिसमें से 247 पैक्स ने आंध्र प्रदेश राज्य से आवेदन किया है। आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-1** में संलग्न है।

(ग): दिनांक 18 नवंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, कुल 2705 पैक्स को फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI) के द्वारा प्रारंभिक अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसमें से 684 पैक्स को PMBI द्वारा स्टोर कोड जारी किया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य से 121 पैक्स शामिल हैं, जिन्हें जन औषधि केंद्रों के रूप में कार्य आरंभ करने की अनुमति दी गई है।

(घ) और (ङ): जी हाँ मान्यवर। औषध विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रशासित यह योजना केंद्र मालिकों को PMBI से की गई मासिक खरीद के 20% की दर से प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा 20,000 रुपये प्रति माह है, जो स्टॉक अधिदेश की शर्तों के अधीन है। इसके अतिरिक्त, केंद्र मालिकों को प्रत्येक दवा के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) (करों को छोड़कर) पर 20% मार्जिन प्रदान किया जाता है।

अनुलग्नक-1**दिनांक 18.11.2024 तक पीएम जन औषधि केंद्रों के लिए आवेदन करने वाले पैक्स का
राज्यवार ब्योरा**

क्रम.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	प्राप्त आवेदनों की संख्या
1	उत्तर प्रदेश	880
2	महाराष्ट्र	430
3	मध्य प्रदेश	313
4	कर्नाटक	267
5	आंध्र प्रदेश	247
6	राजस्थान	230
7	बिहार	225
8	तमिलनाडु	183
9	गुजरात	182
10	असम	173
11	पंजाब	165
12	छत्तीसगढ़	161
13	ओडिशा	150
14	जम्मू और कश्मीर	126
15	झारखंड	110
16	हरियाणा	95
17	उत्तराखंड	85
18	हिमाचल प्रदेश	85
19	अरुणाचल प्रदेश	70
20	केरल	48
21	मिजोरम	46
22	तेलंगाना	34
23	मणिपुर	31
24	त्रिपुरा	24
25	पश्चिम बंगाल	23
26	पुडुचेरी	20
27	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	15
28	सिक्किम	12
29	मेघालय	12
30	लद्दाख	10
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	8
32	नागालैंड	5
33	गोवा	5
	कुल योग	4470